न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 1576/2017

-: प्रार्थीगण :-

1. तुलछाई पत्नि जोगाराम
2. मथुराई पत्नि रतनलाल
3. इन्द्रादेवी पत्नि नाथुराम

जातियान जाति कुमावत
निवासी समौखी तहसील
जैतारण जिला पाली (राज.)

बनाम

-: अप्रार्थी :-

1. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला पाली
(राज.)

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 **तारीख रजू:.12/07/2017**

उपस्थितः- 1. श्री मेवराज कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 29/05/2018**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-समौखी, पटवार हल्का-मोहराई, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 121/339 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1252/2014 दिनांक 28/7/2014 भूमि को ढगलाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार से दिनांक 26/9/2014 को पृष्ठ संख्या 1 जिल्द संख्या 223 में पृष्ठ संख्या 84 क्रम संख्या 2014003875 द्वारा खरीद की थी। जिसकी बैचान रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है। उसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 695 दिनांक 5/11/2014 को बैचान से खसरा नम्बर 121/339 रकबा 1-10 बीघा में ढगलाराम पुत्र बालुराम कौम मेघवाल सा.देह के स्थान पर 1. तुलछाई पत्नि जोगाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम समौखी तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) 2. मथुराई पत्नि रतनलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज. 3. इन्द्रा देवी पत्नि नाथुराम जाति कुमावत निवासी ग्राम समौखी तहसील जैतारण जिला पाली राज. के नाम दर्ज किया गया। जिसकी म्यूटेशन एवं जमाबंदी संवत् 2068-2071 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त भूमि जमाबंदी में म्यूटेशन संख्या 695 दिनांक 5/11/2014 को प्रार्थीया के नाम दर्ज हुई है। उपरोक्त खसरे की आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का संवत् 2072-2075 का जमाबंदी चौसाला तैयार करते वक्त जमाबंदी खतौनी में खसरा नम्बर 121/339 रकबा 01-10 बीघा आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के स्थान पर खसरा नम्बर 121/344 दर्ज हो गया जो गलत है। वास्तवित खसरा नम्बर 121/339 है। जमाबंदी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बर 121/339 है। जमाबंदी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बर 121/339 के स्थान पर पटवारी हल्का मोहराई द्वारा एवं अपना खाता केन्द्र एल.आर.सी पटवारी द्वारा उपरोक्त खसरे की आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का संवत् 2072-2075 का जमाबंदी चौसाला तैयार करते वक्त जमाबंदी खतौनी में खसरा नम्बर 121/339 रकबा 01-10 बीघा आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के स्थान पर खसरा नम्बर 121/344 गलत दर्ज कर दिया जो कि एक बोनाफाईड लेखकीय भूल है। कानून का सुनिश्चित सिद्वान्त है कि उपरोक्त प्रकार की लेखकीय बोनाफाईड मिस्टेक है जिसे किसी भी समय दुरस्त किया जा सकता है। प्रार्थीगण को जमाबंदी नकल की आवश्यकता होने पर प्रार्थीगण जमाबंदी ली तब उसमें खसरा नम्बर गलत होने का पता चला तब उक्त गलत खसरा नम्बर 121/344 की जानकारी होने के बाद पटवारी व तहसीलदार जैतारण के समक्ष उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण की भूमि का दर्ज गलत खसरा नम्बर 121/344 को दुरूस्त किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन उन्होने प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया। व कहां कि कोर्ट से आदेश करवा के लेकर आवों अन्यथा रेकर्ड में दर्ज गलत खसरा नम्बर 121/344 दुरस्त नहीं किया जा सकता । प्रार्थीगण उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के रिकोर्डेड काबिज है। नामान्तरण संख्या 695 के इन्द्राज में खसरा नम्बर सही भरा गया है। उसी के आधार पर जमाबंदी संवत् 2068-2071 में खसरा नम्बर 121/339 में प्रार्थीगण का नाम माफिक बैचाननामा एवं म्यूटेशन के आधार पर दर्ज किया है। लेकिन जमाबंदी चौसाला संवत् 2072-2075 का जमाबंदी चौसाला तैयार करते वक्त जमाबंदी खतौनी में खसरा नम्बर 121/339 रकबा 1-10 बीघा आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के स्थान पर खसरा नम्बर 121/344 गलत दर्ज कर दिया है उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड की दुरस्ती करवाकर प्रार्थीगण के आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के खाता नम्बर 44 में गलत दर्ज खसरा नम्बर 212/344 के स्थान पर सही खसरा नम्बर 121/339 दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थनापत्र दुरस्ती रेकर्ड बाबत् पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली में जबाब प्रस्तुत करने का समय चाहा। सरकारी पैरोकार राजस्व लोक अदालत केम्प-बांझाकुड़ी दिनांक 29/5/2018 को नियत की गई। पत्रावली आम राजस्व लोक अदालत केम्प बांझाकुडी पेश हुई है। तहसीदार जैतारण ने उक्त प्रकरण में फर्द जांच रिपोर्ट पेश की सामिल मिशल हो। फर्द जांच रिपोर्ट में व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड जमाबंदी ग्राम समौखी संवत् 2068-2071 में खसरा नम्बर 121/339 रकबा 1-10 बीघा भूमि ढगलाराम पुत्र बालूराम कौम मेघवाल के नाम से ना.स. 679 जरिये बंट्वाड़ा दर्ज हो रखी थी जो बाद में आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की जाकर बेचान से तुलछाई पत्नि जोगाराम इन्द्रा पत्नि नाथुराम मथुराई पत्नि रतनलाल के नाम से जरिये ना.स. 695 के द्वारा दर्ज की गई। जमाबंदी संवत् 2071-2074 बनाते समय खसरा नम्बर 121/339 को परिवर्तित कर खसरा नम्बर 121/344 कर दिया गया। चुंकि जमाबंदी संवत् 2068-2071 में ही ना.स. 677 बंट्वाड़ा के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जरिये खसरा नम्बर 121/339 नेनाराम पुत्र मादुराम कौम बावरी को दिया जा चुका था तथा बाद में यही खसरा नम्बर ना.स. 679 के द्वारा ढगलाराम पुत्र बालुराम को दिया गया जो नई जमाबदी में कम्प्यूटर द्वारा एक ही खसरा नम्बर की दुबारा एन्ट्री नही लेने से ढगलाराम को दिया गया खसरा नम्बर 121/339 को परिवर्तित कर खसरा नम्बर 121/344 किया गया। चुंकि खसरा नम्बर 121/339 रकबा 1-10 बीघा भूमि जो ढगलाराम पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज थी तथा वर्तमान में तुलछाई पत्नि जोगाराम इन्द्रा पत्नि नाथुराम मथुराई पत्नि रतनलाल के नाम दर्ज है उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो रखा है एवं नक्शा ट्रेश में तरमीम की जा चुकी है। अतः वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर 121/339 जो नेनाराम पुत्र मादुराम के नाम से दर्ज है उसे परिवर्तित कर खसरा नम्बर 121/344 एवं 121/344 जो तुलछाई पत्नि जोगाराम वगैराह के नाम से दर्ज हैं। उसे परिवर्तित कर खसरा नम्बर 121/339 किया जाना उचित है।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत फर्द जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः फर्द जांच रिपोर्ट अनुसार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर 121/339 जो नेनाराम पुत्र मादुराम के नाम से दर्ज है उसे परिवर्तित कर खसरा नम्बर 121/344 जो तुलछाई पत्नि जोगाराम बगैरहा के नाम से दर्ज हैं के स्थान पर खसरा नम्बर 121/339 दुरस्त किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा–समौखी, पटवार हल्का–मोहराई, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 121/339 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि को खसरा नम्बर 121/339 जो नेनाराम पुत्र मादुराम के नाम से दर्ज हैं। उसे परिवर्तित कर खसरा नम्बर 121/344 जो तुलछाई पत्नि जोगाराम वगैराह के नाम से दर्ज हैं के स्थान पर खसरा नम्बर 121/339 दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/05/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–बांजाकुड़ी सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner